दिनांक 04.05.2020 से कर्फ्यू क्षेत्र में वर्तमान व्यवस्था यथावत जारी रहेगी,

कर्फ्यू क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में निम्न गतिविधियाँ प्रतिबन्धित रहेंगी

1. सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेगें।
2. होटल्स/ गेस्ट हाउस का संचालन बंद रहेगा।
3. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, खेलकूद कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, होटल एवं बार, ऑडिटोरियम इत्यादि बंद रहेगें।
4. सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/सांस्कृतिक/मनोरंजन/अकादमिक/धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
5. समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेगें। धार्मिक सम्मेलन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
6. समस्त बाजार एवं शॉपिग कॉम्पलेक्स बंद रहेगें लेकिन आवश्यक सामग्री (मेडिकल स्टोर, किराना/जनरल/प्रोविजनल स्टोर, बिजली के पंखे की दुकान, स्टेशनरी एवं किताबो की दुकान, मोबाईल रिपेयरिंग की दुकान, ऑख की नजर के चश्में) की दुकानें खुल सकेगी।
7. पान-गुटखा-सिगरेट, कॉफी हाऊस, ज्यूस एवं चाय की दुकान बंद रहेगी।
8. स्पा/सैलून एवं नाई की दुकान का संचालन बंद रहेगा।
9. सब्जी-फल के अतिरिक्त समस्त हाथ-ठेला पर अन्य उत्पाद (खाद्य पदार्थ) की बिक्री बंद रहेगी।
10. रिक्शा एवं साईकिल रिक्शा/ई-रिक्शा, टैक्सी/कैब्स, सार्वजनिक परिवहन की बसें/सिटी बस का संचालन बंद रहेगा।
11. जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में सांय 07.00 पीएम से प्रात: 07.00 एएम तक आवश्यक सेवाओं से जुडे हुए व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबन्धित होगा।

चूंकि इस नोटिस को सभी को व्यक्तिगत रूप से तामील नही कराया जा सकता है, अतः आदेश को बडे पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए प्रचारित किया जावे। इस नोटिस को प्रेस के माध्यम से और सभी कार्यालय (पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, तहसील एवं सभी पुलिस थाना) के नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर प्रकाशित किया जाकर सार्वजनिक किया जाए।

मै सभी को इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नही करने के निर्देश देता हूँ।

इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या कम्पनी/संस्था के संचालन/प्रबन्धन के व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 मे उपबन्धित प्रावधानो के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जावेगा।

<u>यह आदेश दिनांक 03 मई, 2020 रात्री 09.00 पी.एम. से अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।</u>

यह आदेश आज दिनांक 03 मई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ... जयपुर आयुक्तालय

3/5/20

(अजय पाल लाम्बा)

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

(द्वितीय) जयपुर।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट

एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था)

जयपुर आयुक्तालय

क्रमांक :-170 दिनांक :-03.05.2020

प्रतिलिपि :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम/यातायात, जयपुर।
5. पुलिस उपायुक्त पूर्व/मुख्यालय/उत्तर/दक्षिण/पश्चिम/मेट्रो जयपुर को पालनार्थ।
6. कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को पालनार्थ।
7. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण, पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को पालनार्थ।
8. जन सम्पर्क अधिकारी, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को मिडिया के मार्फत प्रसारित करने हेतु।
9. समस्त थानाधिकारीगण, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को पालनार्थ।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
11. प्रभारी पुलिस कन्ट्रोल रूम जयपुर महानगर।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

(द्वितीय) जयपुर।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट

एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था)

जयपुर आयुक्तालय

Scanned with Cam